83

संख्या:300/XXIV-3/12/02(08)05

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 11 अप्रैल, 2012

विषयः विद्यालयी शिक्षा निदेशालय खसरा संख्याः 642 में अंकित भूमि में से 64X48 वर्ग मी0 भूमि को उत्तराखण्ड भारत स्काउट्स एवं गाइड, देहरादून के प्रादेशिक मुख्यालय के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः नियोजन/83141/5ख–तीन(2)/विद्यालय भवन/2011–12 दिनांकः 02 मार्च, 2012 के सम्बन्ध में तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय की चहारदीवारी से बाहर एवं बाल विकास भवन से सटी हुयी खसरा संख्याः 642 में अंकित भूमि में से 64 X48 वर्ग मी0 भूमि को उत्तराखण्ड भारत स्काउट्स एवं गाइड, देहरादून के प्रादेशिक मुख्यालय के नाम हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2 जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नही।
4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।
5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उसे भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।

आगे

क्रमशः–2

6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

7. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 300(08)/XXIV-3/12/02(08)05तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड सरकार।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– सचिव,उत्तराखण्ड भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, प्रोदशिक मुख्यालय, 55 राजपुर रोड, देहरादून।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।